

उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-2
संख्या-1438/सैंतीस-2-2019-5(53)/18टीसी-5
लखनऊ :: दिनांक-29 मई, 2019

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश में गो संरक्षण एवं संवर्धन कोष के गठन तथा उसके संचालन हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित नियमावली बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

उत्तर प्रदेश गो संरक्षण एवं संवर्धन कोष नियमावली-2019

संक्षिप्त प्रारम्भ-	नाम व	1-(1) इस नियमावली को उत्तर प्रदेश गो संरक्षण एवं संवर्धन कोष नियमावली-2019 कहा जायेगा। (2) यह नियमावली गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
परिभाषाएं-		2-इस नियमावली में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- (क) 'कोष' का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन गठित उत्तर प्रदेश गो संरक्षण एवं संवर्धन कोष से है; (ख) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है; (ग) 'गोवंश आश्रय स्थल' का तात्पर्य सरकार द्वारा अथवा उसके निदेशों के क्रम में "जिला प्रशासन" द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में "स्थापित अस्थायी अथवा स्थायी गोवंश आश्रय स्थल" से है; (घ) 'वित्तीय वर्ष' का तात्पर्य प्रत्येक वर्ष के 01 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि से है; (ङ) 'वित्त विभाग' का तात्पर्य सरकार के वित्त विभाग से है; (च) 'सलाहकार समिति' का तात्पर्य ऐसी प्रदेश स्तरीय समिति से है जो कोष के उपयोग के लिए सलाह, अनुशंसा, मार्गदर्शन और निर्देशन प्रदान करेगी और; नियम-6 के अधीन गठित समिति से है; (छ) 'आरक्षित कोष' का तात्पर्य नियम 11 के द्वारा गठित आरक्षित कोष से है; (ज) "पंजीकृत गोशाला" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम 1964 के अन्तर्गत पंजीकृत गोशालाओं से है।
कोष के गठन के उद्देश्य-		3-(1) गोवंश आश्रय स्थलों में आवासित गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पालन-पोषण, विकास कार्य एवं उन्हें स्वावलम्बी बनाने की योजनाओं में सहयोग करना; (2) गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रदेश के गोवंश



	आश्रय स्थलों में अस्थायी/अति आवश्यक प्रकृति की परिसम्पत्तियों का निर्माण तथा उत्पादन इकाइयों/योजनाओं हेतु सहयोग देना;
कोष के आय के स्रोत:-	4. कोष की आय के निम्न स्रोत होंगे:- (क) नियमानुसार दान, चंदे से प्राप्त राशि; (ख) कोष के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार एवं अन्य सरकारी संगठनों द्वारा दी जा रही धनराशि (ग) किसी व्यक्ति, औद्योगिक प्रतिष्ठान, गैरसरकारी संगठन एवं धर्मार्थ संस्था से गोसंरक्षण एवं संवर्धन प्रयोजन हेतु प्राप्त राशि; और (घ) कोष के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य स्रोतों से प्राप्त राशि। (ङ) मण्डी परिषद से मण्डी शुल्क/सेस से प्राप्त होनी वाली 02 प्रतिशत की धनराशि। (च) आबकारी विभाग द्वारा वार्षिक राजस्व के अतिरिक्त "Special fees" लगाकर प्राप्त की गयी धनराशि। (छ) प्रदेश में सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत लाभकारी निगमों व अन्य कार्यदायी संस्थाओं को होने वाले लाभ में 0.5 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि। (ज) राज्य सरकार के अधीन यूपीडा आदि संस्थाओं द्वारा अधिरोपित किये जा रहे टोल टैक्स में 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त धनराशि। (झ) सी0एस0आर0 के मद से प्राप्त होने वाली धनराशि।
कोष का गठन प्रबन्धन एवं संचालन:-	5-(1) कोष का गठन प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी के स्तर पर किया जायेगा तथा इसका प्रबन्धन एवं संचालन प्रदेश के समस्त जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा उनकी अध्यक्षता में गठित गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना व संचालन/प्रबन्धन हेतु शासन के निर्देशों के अधीन गठित जिला स्तरीय अनुश्रवण मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति के माध्यम से किया जायेगा। (2) कोष की धनराशि जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखी जायेगी। (3) ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव का अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल नाम से एक अलग खाता खोला जाएगा तथा गांव में स्थापित अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल में गोवंश का सत्यापन ग्राम स्तरीय समिति से कराते हुए ब्लाक तथा तहसील स्तरीय समिति से सत्यापन कराते हुए जिला स्तरीय समिति से निराश्रित/बेसहारा गोवंश के भरण-पोषण हेतु ग्राम सभा/ग्राम पंचायत अधिकारी/क्षेत्र पंचायत अधिकारी अपनी आवश्यकता अनुसार धनराशि का निर्धारण करके जिलाधिकारी को अवगत करायेगें। तदोपरान्त जिलाधिकारी द्वारा अनुदान को सीधे अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल खाते में आवंटित की जायेगी। उक्त का

	अनुश्रवण/निरीक्षण खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
प्रदेश स्तरीय सलाहकार समिति एवं उसके कार्य:-	6-(1) कोष की धनराशि के उपयोग हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति होगी, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे- (एक) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग सदस्य (दो) प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग सदस्य (तीन) प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग सदस्य (चार) प्रमुख सचिव/सचिव, उद्यान विभाग सदस्य (पांच) प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग सदस्य (छः) प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व विभाग सदस्य (सात) प्रमुख सचिव/सचिव, वन विभाग सदस्य (आठ) प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग सदस्य सचिव (नौ) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग संयोजक सदस्य (दस) निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग सदस्य (ग्यारह) निदेशक, कृषि विभाग, उ०प्र० सदस्य (बारह) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० पशुधन विकास परिषद सदस्य (तेरह) सचिव, उ०प्र० गो सेवा आयोग सदस्य आवश्यकता होने पर सलाहकार समिति में प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अन्य सदस्य भी जोड़े जा सकेंगे।
	(2) प्रदेश स्तरीय सलाहकार समिति के निम्न कार्य होंगे:- (क) गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन तथा पालन-पोषण हेतु प्रदान की जाने वाली सहायता राशि का निर्धारण करना; (ख) गो आश्रय स्थलों में गोवंश के पालन-पोषण हेतु सहायता राशि की दर, मानक अवधि तथा वितरण प्रक्रिया का निर्धारण करना; (ग) कोष से स्वीकृत राशि के उपयोग की समीक्षा करना एवं प्रदत्त सहायता के पर्यवेक्षण, प्रबन्धन हेतु आवश्यक प्रशासनिक दिशा-निर्देश देना। (घ) समिति द्वारा प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बैठक आवश्यक रूप से आयोजित की जायेगी।
मण्डल स्तरीय समिति एवं उसके कार्य:-	7-(1) प्रत्येक मण्डल में गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना व संचालन/प्रबन्धन के अनुश्रवण हेतु मण्डल स्तरीय अनुश्रवण मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति निम्नवत होगी:-



	(एक) मण्डलायुक्त अध्यक्ष (दो) पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक सदस्य (तीन) स्थानीय निकाय, नगर विकास विभाग के मण्डल स्तरीय शीर्षस्थ अधिकारी सदस्य (चार) अपर निदेशक, पशुपालन विभाग सदस्य (पांच) उप निदेशक, पंचायती राज विभाग सचिव (छः) मुख्य अभियन्ता, संबंधित मण्डल, सिंचाई विभाग सदस्य (सात) वन संरक्षक, वन विभाग सदस्य (आठ) संयुक्त कृषि निदेशक, कृषि विभाग सदस्य (नौ) अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों से संबंधित अन्य सुसंगत विभागों के मण्डल स्तरीय शीर्षस्थ अधिकारीगण सदस्य (2) मण्डल स्तरीय समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे:- (क) जनपद स्तरीय समिति द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा। (ख) जनपद स्तरीय समिति को प्रबन्धन में आ रही कठिनाइयों का निराकरण करना। (ग) विशेष परिस्थितियों में आरक्षित कोष में से स्वीकृति हेतु प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करना। (घ) समिति द्वारा प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बैठक आवश्यक रूप से आयोजित की जायेगी।
कोष का उपयोग:-	8- कोष का उपयोग निम्न प्रयोजनों के लिए किया जायेगा:- (क) जनपद के गोवंश आश्रय स्थलों में आवासित गोवंश के पालन-पोषण गोवंश आश्रय स्थलों के संचालन/प्रबन्धन के लिए सहायता राशि प्रदान करने हेतु; (ख) गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जनपद के गोवंश आश्रय स्थलों में अस्थायी/अति आवश्यक प्रकृति की परिसम्पत्तियों का निर्माण तथा उत्पादन इकाइयों/योजनाओं के लिए सहायता राशि प्रदान करने हेतु; (ग) जनपद के गोवंश आश्रय स्थलों के आवासित गोवंश के भरण-पोषण, निस्तारण संरक्षण एवं संवर्धन से सम्बन्धित विभिन्न विकास कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु; (घ) कोष का उपयोग गोवंश विषयक सभी आवश्यक व्ययों पर किया जायेगा जो कि शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायेंगे, परन्तु निधि का उपयोग निम्न कार्यों पर नहीं किया जा सकेगा- • भूमि एवं वाहन क्रय; • पुराने बकाया (अवस्थापना/पूँजीगत व्यय विषयक) दायित्वों का भुगतान; • ब्याज का भुगतान;

	• फर्नीचर, ए०सी० एवं नया भवन निर्माण;																																																						
कोष के उपयोग की प्रक्रिया:-	9-(1) कोष का उपयोग, उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों में गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन/प्रबन्धन हेतु शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों के अनुसार, किया जाएगा। (2) कोष से सहायता प्राप्त करने के मानक नियमों एवं प्रक्रिया का निर्धारण प्रदेश स्तरीय सलाहकार समिति द्वारा समय-समय पर किया जायेगा। (3) प्रत्येक गोवंश आश्रय स्थल द्वारा प्राप्त सहायता राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र यथास्थिति पदाधिकारी अध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षरशुदा मय नाम व पद की मुहर सहित प्रस्तुत किया जायेगा। यदि ऐसे पदाधिकारी तैनात नहीं है तो जिलाधिकारी द्वारा नामित सम्बन्धित (यथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम स्तरीय) समिति के दो सदस्यों के द्वारा उपरोक्तानुसार प्रस्तुत किया जायेगा।																																																						
जिला स्तरीय समिति एवं उसके कार्य:-	10-(1) प्रत्येक जिले में गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना व संचालन/प्रबन्धन के क्रियान्वयन पर्यवेक्षण अनुश्रवण हेतु जनपद स्तरीय अनुश्रवण मूल्यांकन समीक्षा समिति निम्नवत होगी:- <table border="0"> <tr> <td>(एक)</td><td>जिलाधिकारी</td><td>अध्यक्ष</td></tr> <tr> <td>(दो)</td><td>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक</td><td>सदस्य</td></tr> <tr> <td>(तीन)</td><td>मुख्य विकास अधिकारी</td><td>सदस्य</td></tr> <tr> <td>(चार)</td><td>नगर आयुक्त, नगर निगम</td><td>सदस्य</td></tr> <tr> <td>(पांच)</td><td>मुख्य पशुचिकित्साधिकारी</td><td>सदस्य</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>सचिव</td></tr> <tr> <td>(छः)</td><td>परियोजना निदेशक (डी.आर.डी.ए.)</td><td>सदस्य</td></tr> <tr> <td>(सात)</td><td>अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत</td><td>सदस्य</td></tr> <tr> <td>(आठ)</td><td>समस्त उप जिलाधिकारी</td><td>सदस्य</td></tr> <tr> <td>(नौ)</td><td>अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई</td><td>सदस्य</td></tr> <tr> <td>(दस)</td><td>अधिशाली अभियन्ता, लघु सिंचाई</td><td>सदस्य</td></tr> <tr> <td>(ग्यारह)</td><td>प्रभागीय वनाधिकारी (सामाजिक वानिकी)</td><td>सदस्य</td></tr> <tr> <td>(बारह)</td><td>जिला पंचायत राज अधिकारी</td><td>सदस्य</td></tr> <tr> <td>(तेरह)</td><td>जिला ग्रामोद्योग अधिकारी</td><td>सदस्य</td></tr> <tr> <td>(चौदह)</td><td>जिला कृषि अधिकारी</td><td>सदस्य</td></tr> <tr> <td>(पन्द्रह)</td><td>जिला उद्यान अधिकारी</td><td>सदस्य</td></tr> <tr> <td>(सोलह)</td><td>डी.डी.एम. (एन.ए.बी.ए.आर.डी.)</td><td>सदस्य</td></tr> <tr> <td>(सत्रह)</td><td>मा० जनप्रतिनिधिगण, संबंधित जनपद</td><td>विशेष आमंत्रित सदस्य</td></tr> </table> (2) जिला स्तरीय समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे:-	(एक)	जिलाधिकारी	अध्यक्ष	(दो)	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	सदस्य	(तीन)	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य	(चार)	नगर आयुक्त, नगर निगम	सदस्य	(पांच)	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	सदस्य			सचिव	(छः)	परियोजना निदेशक (डी.आर.डी.ए.)	सदस्य	(सात)	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य	(आठ)	समस्त उप जिलाधिकारी	सदस्य	(नौ)	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई	सदस्य	(दस)	अधिशाली अभियन्ता, लघु सिंचाई	सदस्य	(ग्यारह)	प्रभागीय वनाधिकारी (सामाजिक वानिकी)	सदस्य	(बारह)	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य	(तेरह)	जिला ग्रामोद्योग अधिकारी	सदस्य	(चौदह)	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य	(पन्द्रह)	जिला उद्यान अधिकारी	सदस्य	(सोलह)	डी.डी.एम. (एन.ए.बी.ए.आर.डी.)	सदस्य	(सत्रह)	मा० जनप्रतिनिधिगण, संबंधित जनपद	विशेष आमंत्रित सदस्य
(एक)	जिलाधिकारी	अध्यक्ष																																																					
(दो)	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	सदस्य																																																					
(तीन)	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य																																																					
(चार)	नगर आयुक्त, नगर निगम	सदस्य																																																					
(पांच)	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	सदस्य																																																					
		सचिव																																																					
(छः)	परियोजना निदेशक (डी.आर.डी.ए.)	सदस्य																																																					
(सात)	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य																																																					
(आठ)	समस्त उप जिलाधिकारी	सदस्य																																																					
(नौ)	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई	सदस्य																																																					
(दस)	अधिशाली अभियन्ता, लघु सिंचाई	सदस्य																																																					
(ग्यारह)	प्रभागीय वनाधिकारी (सामाजिक वानिकी)	सदस्य																																																					
(बारह)	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य																																																					
(तेरह)	जिला ग्रामोद्योग अधिकारी	सदस्य																																																					
(चौदह)	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य																																																					
(पन्द्रह)	जिला उद्यान अधिकारी	सदस्य																																																					
(सोलह)	डी.डी.एम. (एन.ए.बी.ए.आर.डी.)	सदस्य																																																					
(सत्रह)	मा० जनप्रतिनिधिगण, संबंधित जनपद	विशेष आमंत्रित सदस्य																																																					

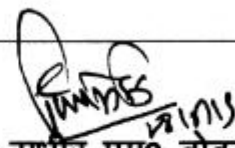
	(क) जिला स्तर पर गोवंश आश्रय स्थलों के संरक्षण एवं संवर्धन, आश्रय स्थल की स्थापना, चारा उत्पादन विकास की योजना व अन्य कोई योजना समिति जिसे उचित समझे। (ख) गोवंश आश्रय स्थलों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करना। (ग) विशेष परिस्थितियों में आरक्षित कोष में से स्वीकृति हेतु प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन प्राप्त कर जारी करना। (घ) नियम-6(2) व नियम 7(2) के क्रम में प्रदेश स्तरीय व मण्डल स्तरीय समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में क्रियान्वयन करना।
आरक्षित कोष का गठन एवं उपयोग:-	11-(1) कोष में ₹0 50 लाख की धनराशि आरक्षित रखी जायेगी। इस हेतु जिला स्तर पर एक आरक्षित कोष बनाया जायेगा, जिसका उपयोग आपदाग्रस्त घोषित होने पर जिले में गोवंश के पालन-पोषण के प्रयोजन हेतु जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरान्त किया जा सकेगा। (2) अस्थायी गोवंश के भरण पोषण व अन्य अनावर्ती व्यय जनपद स्तरीय अनुश्रवण मूल्यांकन, समीक्षा समिति के अनुमोदन से किया जायेगा। (3) वर्षा, बाढ़, अभाव, अकाल, चारा दुर्भिक्ष एवं प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सहायता के प्रयोजन हेतु जिला स्तरीय अनुश्रवण मूल्यांकन, समीक्षा समिति के अनुमोदन से किया जायेगा। (4) मण्डल स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति एवं प्रदेश स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति के अनुमोदन से किया जायेगा।
कोष से लाभान्वित होने वाली पात्र संस्थायें:-	12- समस्त जिलों में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित व स्थापित गोवंश आश्रय स्थल ही पात्र होंगे।
जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित गोवंश आश्रय स्थलों का संचालन/भरण-पोषण हेतु खाता:-	13-(1) चिन्हित अस्थायी/स्थायी गोवंश आश्रय स्थल का निर्माण/स्थापना तथा संचालन का कार्य जिस स्तर पर किया जा रहा है, वहाँ पर एक पृथक खाता आश्रय स्थल/स्थलों पर पशुओं के नैतिक भरण-पोषण/संचालन हेतु खोला जायेगा (यथा ग्रामीण क्षेत्र में तहसील स्तर पर, क्षेत्र पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर तथा शहरी क्षेत्र में नगर पंचायत स्तर, नगर पालिका स्तर पर तथा नगर निगम स्तर पर)। यह खाता ग्रामीण एवं शहरी निकायों में संचालित नियमित खातों से पृथक खाता होगा। इन खातों में यथा माँग के अनुसार जिला स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति द्वारा धनराशि का अन्तरण किया जायेगा। (2) इस खाते का संचालन जिला स्तर पर जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से, तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी/तहसीलदार एवं तहसील स्तर पर उपलब्ध

Amu

	पशु चिकित्साधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से, क्षेत्र पंचायत स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी तथा क्षेत्र पंचायत स्तर पर उपलब्ध पशु चिकित्साधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से, ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जायेगा। नगरीय क्षेत्रों में नगर पंचायत/नगर पालिका स्तर पर अधिशासी अधिकारी एवं उस स्तर पर उपलब्ध वरिष्ठतम पशु चिकित्साधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से तथा नगर निगम स्तर पर नगर आयुक्त एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जायेगा। (3) इन खातों में स्थायी/अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों के मात्र भरण-पोषण/संचालन हेतु किसी भी माध्यम से प्राप्त धनराशि रखी जायेगी।
संचालन/भरण —पोषण हेतु चिन्हित गोवंश आश्रय स्थलों में पशुओं की संख्या सत्यापन विषयक प्रक्रिया:-	14—(1) सभी गोवंश आश्रय केन्द्र जहाँ पर गोवंश संरक्षित किये गये हैं, उन सभी केन्द्रों के संचालन हेतु स्थानीय लोगों की समिति बनाकर गोवंश के भरण-पोषण की जिम्मेदारी दी जाये। (2) प्रत्येक केन्द्र पर संरक्षित गोवंश के विवरण हेतु एक पंजिका बनायी जाये, जिसमें प्रतिदिन तथा क्रमिक संरक्षित पशुओं की संख्या का विवरण (प्रजाति, आयु व लिंग आदि) रखा जाये तथा इससे संबंधित सुसंगत स्तर पर उपलब्ध/तैनात विभिन्न विभागों (यथा पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पशु पालन विभाग, पुलिस विभाग आदि जैसा जिलाधिकारी द्वारा विहित किया जाये) के कर्मियों द्वारा प्रतिदिन भौतिक सत्यापन कराया जाये। यथासंभव प्रतिदिन भौतिक सत्यापन/पशुओं की संख्या विषयक साक्ष्य (फोटो, वीडियो, टैगिंग आदि) भी रखा जाये। (3) सत्यापित गोवंश की संख्या के आधार पर ही भरण-पोषण हेतु अनुदान की माँग आश्रय स्थल संचालन समिति द्वारा की जायेगी।
चिन्हित गोवंश आश्रय स्थलों के संचालन/ भरण-पोषण को प्रथम बार (first time) दी जाने वाली अनुदान/धनराशि:-	15—(1) जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित गोवंश आश्रय स्थलों पर प्रथम बार (first time) अनुदान/धनराशि दी जायेगी। (2) यह प्रथम बार की धनराशि प्रथम बार (first time) स्वीकृति की तिथि को (प्रस्तर-14 के अनुसार) उपलब्ध पशुओं की संख्या के आधार पर 30 रुपये अथवा शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर से प्रतिदिन प्रति पशु के आधार पर संचालन/भरण-पोषण की धनराशि 02 माह अर्थात् 60 दिनों हेतु प्रथम बार में सीधे सुसंगत स्तर पर प्रस्तर-13 के अनुसार खोले गये गोवंश आश्रय स्थल संचालन/भरण-पोषण विषयक खाते में RTGS के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। (3) यह प्रथम बार की धनराशि अग्रिम के रूप में उपलब्ध

	करायी जायेगी, जिसका समायोजन 30 दिन (01 माह/अगले माह) के पश्चात् अधिकतम 01 सप्ताह में किया जायेगा। इस समायोजित धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु मॉग सक्षम प्राधिकारी/समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। इस प्रतिपूर्ति हेतु मॉग के साथ सत्यापन विषयक फोटो/वीडियो साक्ष्य भी प्रस्तुत किया जायेगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा 03 दिवस के अन्दर मॉग की गयी धनराशि का अन्तरण सम्बन्धित सुसंगत स्तर के खातों में RTGS के माध्यम से किया जायेगा। यह व्यवस्था इस प्रकार से बनायी जायेगी कि न्यूनतम 01 माह का अग्रिम सुसंगत खातों में बना रहेगा। (4) यदि पशुओं की संख्या में कमी अथवा वृद्धि होती है तो उसके सापेक्ष मॉग के अनुसार सुसंगत धनराशि के अन्तरण में कमी अथवा वृद्धि होगी। (5) यदि पशुओं की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होती है तो गोशाला से संबंधित संचालन समिति गत माह के समायोजन के साथ नयी मॉग सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी। सक्षम प्राधिकारी अपने स्तर से इस अप्रत्याशित नयी मॉग का सत्यापन कराते हुए 03 दिवस के अन्दर धनराशि का अन्तरण सुनिश्चित कराएँगे। (6) उपरोक्त उपनियम (1) से (5) में परिवर्तन हेतु प्रदेशीय सलाहकार समिति सक्षम होगी।
तहसील/क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति द्वारा संचालन/भरण-पोषण हेतु दी गयी धनराशि विषयक भूमिका:-	16-(1) तहसील/क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति द्वारा अस्थायी गो आश्रय स्थलों का औचक निरीक्षण किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि धनराशि के वितरण, सदुपयोग, पशुओं की संख्या, जिसके लिए धनराशि व्यय की जा रही है, संरक्षित गोवंश का रखरखाव सम्बन्धित समिति द्वारा ठीक प्रकार से किया जा रहा है। (2) तहसील/क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति द्वारा किये गये औचक निरीक्षण विषयक फोटो, वीडियो, निरीक्षण आख्या आदि के माध्यम से जिलास्तरीय समिति को अवगत कराया जायेगा।
भरण-पोषण/संचालन हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि व खाते का लेखा-जोखा व सम्प्रेक्षण (audit):-	17-(1) उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष बिल का लेखा-जोखा सुसंगत स्तरीय समिति के द्वारा रखा जायेगा, यदि किसी भी स्तर पर 01 से अधिक गोवंश आश्रय स्थल संचालित किये जा रहे हों तो भरण-पोषण/संचालन हेतु वित्त पोषण खाता एक होने के बावजूद भी गोवंश आश्रय स्थलों का लेखा-जोखा पृथक्-पृथक् रखा जायेगा। (2) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा खातों व बिलों की आन्तरिक सम्प्रेक्षा एवं वाह्य संप्रेक्षा किया जायेगा। (3) जनपद स्तरीय खातों का सम्प्रेक्षण स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग से concurrent आडिट/कन्करन्ट सम्प्रेक्षण किया जायेगा।

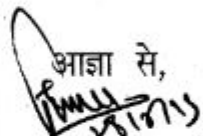
नियमावली में परिवर्तन/संशोधन	में 18-इस नियमावली में कार्यहित में यदि भविष्य में किसी परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता होगी तो उसके लिए मा० मुख्य मंत्री जी अधिकृत होंगे।
------------------------------	--


 (डॉ० सुधीर एम० बोबडे)
 प्रमुख सचिव।

प०सं०-1438(1)/सैतीस-2-2019- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ०प्र०।
8. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश (जिलाधिकारी के माध्यम से)।
9. समस्त जिला पंचायत राज्य अधिकारी, उत्तर प्रदेश (जिलाधिकारी के माध्यम से)।
10. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश (जिलाधिकारी के माध्यम से)।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० पशुधन विकास परिषद, बादशाहबाग, लखनऊ।
12. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
13. समस्त उप निदेशक/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उ०प्र०।
14. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, लखनऊ/प्रयागराज।
15. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि उक्त नियमावली को राजकीय गजट में प्रकाशित कराकर उसकी 50 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध करायेगे।

आज्ञा से,

 (डॉ० सुधीर एम. बोबडे)
 प्रमुख सचिव।